सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर, उ0प्र0–272202

Website : www.suksn.edu.in – Email Id : registrarsidduniv@gmail.com

पत्र सं0–385/सि0वि0वि0/सम्बद्धता/2026 दिनांक 04/05/2026

अनुस्मारक–1

अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/प्रबन्धक,
समस्त सम्बद्ध सम्बन्धित महाविद्यालय,
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर।

विषय– प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग के अर्न्तगत अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित शिक्षकों व स्ववित्तपोषित मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत नियमित एवं स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–391/सत्तर–3–2026 दिनॉक–17.04.2026, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय से **सम्बद्ध (अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित) महाविद्यालयों में अनुमोदित एवं कार्यरत समस्त शिक्षकों की प्रमाणित सूची (शिक्षक अनुमोदन पत्र सहित)** उपलब्ध कराने हेतु पूर्व में विश्वविद्यालय द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था। किन्तु कतिपय महाविद्यालयों द्वारा अद्यतन सूचना अप्राप्त है।

अतः ऐसे समस्त सम्बद्ध महाविद्यालयों को **पुनः एक अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है** कि सम्बद्ध (अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित) महाविद्यालयों में अनुमोदित एवं कार्यरत समस्त शिक्षकों की प्रमाणित सूची (शिक्षक अनुमोदन पत्र सहित) विश्वविद्यालय के ई–मेल sukaffiliation@gmail.com पर **दिनांक–06.05.2026 तक** प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यद्यपि महाविद्यालयों द्वारा अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की सूची उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह मान लिया जायेगा कि आपके महाविद्यालय में कोई भी अनुमोदित शिक्षक कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक नहीं है यदि निर्धारित तिथि के बाद महाविद्यालय द्वारा कैशलेश चिकित्सा सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु प्रेषित प्रार्थना–पत्र को विश्वविद्यालय संज्ञान में नहीं लिया जाएगा। ऐसी दशा में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय प्रशासन का होगा।

भवदीय

04/05/26

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त प्रबन्धक/प्राचार्य/प्राचार्या।
2. प्रभारी कोडिंग सेल को इस निर्देश के साथ कि उक्त सूचना विश्वविद्यालय के वेबसाइट एवं समस्त महाविद्यालय के कालेज लॉगिन पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।
3. निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
4. गार्ड फाइल में संरक्षित हेतु।

कुलसचिव
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,
सिद्धार्थनगर।